तत्काल जारी करने हेतु

भारतः दुर्व्यवहारपूर्ण आतंकवाद-विरोधी तौर-तरीकों में आमूल बदलाव ज़रूरी

यातनाएं और जबरन लिए गए इक्नबालिया बयान जन-समुदायों को अलग-थलग करते हैं, उग्रवादी गुटों को बल देते हैं

(नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2011) -- ह्यूमन राइट्स वाच ने आज जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार को अपनी न्याय व्यवस्था में सुधार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवाद-विरोधी कार्रवाइयों में दुर्व्यवहार न किए जाएं। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने आतंकवाद के गलत आरोपों की रोकथाम के लिए हाल में कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार को यातनाओं और आतंकवाद के संदिग्ध लोगों से जबरन इक़बालिया बयान लेने के अनेक आरोपों की भी जांच करनी चाहिए और इसके लिए जि़म्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए।

106 पृष्ठों की "'राष्ट्रविरोधी तत्व': भारत में आतंकवाद के संदिग्ध लोगों की मनमानी गिरफ़्तारी और यातनाएं" शीर्षक इस रिपोर्ट में आतंकवादी हमलों की घृणित समस्या पर भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में लगातार होने वाले दुर्व्यवहार को दर्ज किया गया है। राज्यों की पुलिस, जेल अधिकारियों और अन्य अधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, जिनमें मनमानी गिरफ़्तारी और हिरासत, यातनाएं और धार्मिक भेदभाव शामिल हैं। रिपोर्ट में 2008 के बाद से छह बम विस्फोटों और अन्य घातक हमलों की जिम्मेदारी का दावा करने वाले उग्रवादी इस्लामी गुट, इंडियन मुजाहिदीन के कथित सदस्यों और 2008 में एक अन्य बम विस्फोट में आरोपित हिंदू राष्ट्रवादी संदिग्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार के ब्योरे दिए गए हैं।

"भारतीय पुलिस पर इन भयंकर हमलों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए ज़बरदस्त दबाव है, लेकिन उन्हें मनमानी गिरफ़्तारियों और जुर्म कबूलवाने के लिए यातना का इस्तेमाल किए बगैर ऐसा करना होगा।" ह्यूमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) की दिक्षण एशिया निदेशक मीनाक्षी गांगुली (Meenakshi Ganguly) ने कहा, "ऐसी गैरकानूनी कार्रवाइयों से न सिर्फ स्थानीय जन-समुदाय अलग-थलग महसूस करने लगते हैं, बल्कि इसमें यह जोखिम भी होता है कि असली मुजरिम बच निकलें और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बने रहें।"

"राष्ट्रविरोधी तत्व" रिपोर्ट 2008 में भारत के तीन बड़े शहरों में किए गए बम विस्फोटों के बाद हुई घटनाओं पर केंद्रित है, जिनकी ज़िम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। तेरह मई को जयपुर में, 26 जुलाई को अहमदाबाद में, और 13 सितंबर को नई दिल्ली में बाज़ारों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्रम से हुए विस्फोटों में कम से कम 152 लोग मारे गए थे और सैकड़ों अन्य घायल हुए थे। यह रिपोर्ट नई दिल्ली तथा साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संदिग्ध लोगों, उनके रिश्तेदारों और वकीलों, नागरिक समाज कार्यकर्ताओं, सुरक्षा विशेषज्ञों और कानून लागू करने वाले अधिकारियों के साथ 160 से भी अधिक साक्षात्कारों पर आधारित है।

देश भर में मारे गए छापों में, राज्य की पुलिस, आम तौर पर आतंकवाद-विरोधी दस्तों, ने अनेक मुसलमानों को पूछताछ के लिए पकड़ा और उनमें से बहुतों तुरत-फुरत को "राष्ट्र-विरोधी" करार दिया – जिसका मतलब था कि वे देशभक्त नहीं हैं। कुल मिलाकर पुलिस ने 2008 के हमलों तथा इसी से संबंधित जुलाई 2008 में सूरत में असफल हमले के सिलिसले में नौ राज्यों से इंडियन मुजाहिदीन के 70 कथित सदस्यों या सहयोगियों को आरोपित किया। सभी को जमानत दिए बिना कैद में रखा गया।

कुछ राज्यों में, पुलिस ने कई दिनों, यहां तक कि हफ़्तों तक संदिग्ध लोगों को गिरफ्तारी दिखाए बिना हिरासत में रखा, जो स्पष्ट रूप से जुर्म कबूल करवाने की कोशिश थी। गुजरात और दिल्ली में पुलिस ने अपराध प्रक्रियाओं में भी तोड़-मरोड़ की तािक वे संदिग्ध लोगों को गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 15 दिन की कानूनी सीमा से ज़्यादा समय तक पूछताछ के लिए रख सकें। बहुत से गिरफ्तार लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें यातनाएं दी गईं जिनमें बिजली के झटके शािमल थे। गुजरात राज्य पुलिस की अहमदाबाद अपराध शाखा के लॉकअप, जहां दुर्व्यवहार के कुछ सबसे बुरे मामले घटित हुए, में रखे गए एक संदिग्ध व्यक्ति ने रिहा होने के बाद कहा कि हिरासत में रखे गए लोगों को सुबह से रात तक आंखों पर पट्टी बाँधकर और बाँहों को घुटनों पर मोड़कर जंजीरों से बाँधकर रखा जाता था। गिरफ्तार लोगों या उनके रिश्तेदारों ने यह भी कहा कि उन्हें पीटा जाता था और धमकी दी जाती थी कि अगर वे सहयोग नहीं करेंगे, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके परिवार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा।

कई संदिग्ध लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनसे सादे कागज़ों पर दस्तखत कराए, और उन्हें डर है कि इनका इस्तेमाल इक़बालिया बयानों के लिए किया गया या उन्हें रात में जगाकर घटनाओं का पुलिस द्वारा तैयार कराया गया बयान दोहराने के लिए कहा गया। कई संदिग्ध लोगों को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन करके गिरफ्तारी के कई दिन या

हफ़्तों बाद तक वकीलों से संपर्क नहीं करने दिया गया। आखिरकार जब वकील से मिलने की अनुमित दी गई, तो संदिग्ध लोगों को अकसर इतनी दूरी पर वकील से बात करने नहीं दिया जाता था कि पुलिस को सुनाई न दे। मुस्लिम संदिग्ध लोगों की पैरवी करने वाले वकीलों को देशद्रोही कहा गया और हिंदू चरमपंथियों ने उन्हें धमकी दी और उन पर शारीरिक हमला किया गया, जिनमें से कई तो उनके साथी वकील थे।

रिपोर्ट में इस बात के विश्वसनीय साक्ष्य शामिल हैं कि महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में 2008 में हुए एक अन्य बम विस्फोट की घटना के लिए गिरफ्तार किए गए 11 हिंदुओं को भी मनमानी हिरासत, यातना और धर्म-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। एक हिंदू संदिग्ध, एक स्वयंभू धर्मगुरु, ने आरोप लगाया कि एक यातना सत्र के दौरान पुलिस ने उसे जबरन गोमांस खिलाया, जो हिंदुओं के लिए निषिद्ध है।

हालांकि दुर्व्यवहार की सबसे बुरी घटनाएं गिरफ़्तारी के बाद पुलिस हिरासत में हुईं, लेकिन ह्यूमन राइट्स वाच ने पाया कि 2009 में अहमदाबाद और जयपुर की जेलों में स्थानांतरित किए जाने के बाद भी दर्जनों संदिग्ध लोगों की पिटाई की गई। दुर्व्यवहार की शिकायत करने पर अदालती प्रक्रियाओं के दौरान भी उन्हें उपेक्षा या पक्षपातपूर्ण रवैये का सामना करना पड़ा।

"2008 के विस्फोटों के सिलिसले में पकड़े गए संदिग्ध लोगों के साथ हिरासत के हर चरण में दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस लॉकअप, जहां बहुत लोगों को यातनाएं दी गईं, से लेकर जेलों में जहां उनकी पिटाई की गई, और अदालतों तक, जहां मिजिस्ट्रेट अकसर उनकी शिकायतों को अनसुना कर देते थे।" सुश्री गांगुली (Ganguly) ने कहा, "आप चीन से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को इससे बेहतर व्यवहार करना चाहिए।"

इसके अलावा, ह्यूमन राइट्स वाच ने भारतीय अधिकारियों से उन नौ मुस्लिम पुरुषों के मामले की अविलंब विस्तृत तथा निष्पक्ष जांच शुरू कराने की अपील की है, जो 2006 में मालेगांव के एक मुस्लिम कब्रिस्तान में हुए भीषण बम विस्फोट में चार वर्ष से अधिक समय से संदिग्ध लोगों के रूप में कैद हैं और कथित रूप से यातनाएं पा रहे हैं। सन 2010 के उत्तरार्द्ध और 2011 के शुरू में जांच से उजागर हुआ कि उस हमले और 2006-07 में भारत में हुए अन्य बड़े विस्फोटों में अब मुख्य संदेह हिंदू उग्रवादियों पर है, जिन्हें पहले इस्लामी उग्रवादी गुटों का काम माना जा रहा था। हैदराबाद और अजमेर में मस्जिदों पर, पाकिस्तान और भारत को जोड़ने वाली यात्री रेल में, और मालेगांव के कब्रिस्तान में हुए विस्फोटों में कम से कम 115 लोग मारे गए थे और 350 अन्य घायल हुए थे।

ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा है कि मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों की आधिकारिक रूप से जांच करने वाली भारत सरकार की संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आतंकवाद के संदिग्ध लोगों के संबंध में की गयी शिकायतों पर उचित ध्यान नहीं दिया। इनमें सबसे साफ इसकी तथाकथित बाटला हाउस मुठभेड़ की जांच थी, जो सितंबर 2008 में दिल्ली बम विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस का छापा था, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के दो संदिग्ध सदस्य ऐसी स्थितियों में मारे गए जिनसे संदेह पैदा हुआ। आयोग ने पहले तो स्वयं अपने दिशानिर्देश की अनदेखी की कि पुलिस के हाथों मृत्यु के सभी मामलों की जांच होनी चाहिए, फिर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दो संदिग्ध लोगों की मृत्यु की जांच का आदेश दिए जाने पर, इसने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जो लगभग पूरी तरह पुलिस द्वारा दिए गए घटनाओं के ब्योरे पर आधारित थी और पुलिस को क्षमादान दे दिया। ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा है कि मृत्यु के कारणों की नई और अधिक जांच की ज़रूरत है।

"राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आतंकवाद-विरोधी कार्रवाई में होने वाले दुर्व्यवहार के मामले में अपनी आवाज खो दी है, "स्श्री गांगुली (Ganguly) ने कहा।

वर्ष 2008 के बम विस्फोट 26 नवंबर, 2008 में मनोरंजन और वाणिज्यिक केंद्र मुंबई पर हुए हमले के आगे फीके पड़ गए। इसके जवाब में भारत की संसद ने दिसंबर 2008 में, ऐसे संशोधन पारित किए जिनके परिणामस्वरूप आतंकवाद के संदिग्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उचित प्रक्रिया के बुनियादी अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनयम (Amendments to the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)) में संशोधनों में आतंकवाद की चलताऊ, अस्पष्ट शब्दों में दी गई परिभाषाएं शामिल हैं, तलाशी और गिरफ्तारी के लिए पुलिस के अधिकार बहुत बढ़ा दिए गए हैं, और आतंकवाद के संदिग्ध लोगों पर आरोप लगाने से पहले हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि को दोगुना बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर स्वीकृत सीमा से बहुत अधिक है। ये संशोधन कुख्यात आतंकवाद निरोधक कानून (POTA) के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसे 2004 में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया था क्योंकि इससे दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता था।

तथापि, ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा है कि अधिकारियों ने 2010 में हुए हाल के 3 ऐसे हमलों पर स्वागत योग्य संयम दिखाया है जिनके लिए उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन को जिम्मेदार ठहराया गया है। इनमें फरवरी में पुणे शहर में विदेशियों की आवाजाही वाले एक रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट में 17 व्यक्तियों की मृत्यु; सितंबर में नई दिल्ली में मोटरसाइकिल सवारों द्वारा गोली चलाकर दो ताइवानी ट्रिस्टों को घायल करने और हिन्दू धर्म की पवित्रतम नगरी; और लोकप्रिय पर्यटन

स्थल वाराणसी में दिसंबर में हुए बम विस्फोट की घटना शामिल है जिसमें एक छोटे बच्चे और एक साठ साल से बड़ी उम्र की महिला की मृत्यु हो गई थी।

"हाल के हमलों पर अधिकारियों का प्रतिसाद उत्साहवर्धक है, लेकिन अगर भारत को आतंकवाद का मुकाबला करने में दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे संयम और कानून के प्रति सम्मान के अलग-अलग मामलों को संस्थागत बदलाव में रूपांतरित करना होगा," सुश्री गांगुली (Ganguly) ने कहा। "इसमें पुलिस द्वारा इस अपमानजनक धारणा को छोड़ना शामिल है, जो 2008 के विस्फोटों के बाद काफी प्रचलित हो गई थी, कि केवल मुस्लिम गुट ही हमलों में संदिग्ध हो सकते हैं।"

ह्यूमन राइट्स वाच ने भारत सरकार, राज्य सरकारों और राज्यों की पुलिस में सुधार के लिए विस्तृत संस्तुतियां दी हैं।

इनमें शामिल हैं:

- आतंकवाद-विरोधी क़ानूनों के गैरकानूनी प्रावधानों को वापस लिया जाए, जिनमें आतंकवाद की अत्यधिक व्यापक परिभाषाएं, तलाशी और जब्ती की पुलिस शक्तियों में वृद्धि, कुछ परिस्थितियों में दोष को पहले से मान लेना, और आरोप लगाने से पहले हिरासत की अवधि को खतरनाक ढंग से बढ़ाना शामिल है।
- सरकार को लंबित यातना निरोधक विधेयक पारित करना चाहिए, लेकिन तभी जबिक वह यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड विरोधी संधि के अनुरूप हो।
- संसद द्वारा पहले ही पारित अपराध प्रक्रिया संशोधनों पर हस्ताक्षर करके कानून का दर्जा देना, जिसके तहत पुलिस के लिए आवश्यक होगा कि वह बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का औपचारिक कारण दर्ज करे - इससे ऐसी कानूनी कमी को दूर किया जा सकेगा जिससे उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है।
- भारत के पुलिस बलों को पेशेवर बनाया जाए और उच्चतम न्यायालय में 1997 के ऐतिहासिक डी.के. बसु मामले में पुलिस अधिकारियों के लिए दिए गए दिशानिर्देशों के पूरे समुच्चय को संहिताबद्ध (D.K. Basu) किया जाए।

पुलिस तथा अन्य अधिकारियों के गलत कामों के आरोपों की पूरी तरह जांच की जाए,
जिसमें इंडियन मुजाहिदीन के कथित संदिग्ध लोगों और ऐसे हमलों के सिलिस में पहले पकड़े गए मुस्लिम शामिल हैं जिनके लिए अब हिंदू उग्रवादियों को आरोपी बताया जा रहा है, तािक भारत में आतंकवाद के संदिग्ध लोगों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध अपराधों से छूट की संस्कृति को समाप्त किया जा सके।

"'राष्ट्रविरोधी तत्व': भारत में आतंकवाद के संदिग्ध लोगों की मनमानी गिरफ़्तारी और यातनाएं" पढ़ने के लिए, कृपया यहां जाएं:

http://www.hrw.org/node/95612

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

नई दिल्ली में, लेट्टा टेलर (Letta Tayler) (अंग्रेज़ी) +1-646-645-1806 (मोबाइल)

नई दिल्ली में, मीनाक्षी गांगुली (Meenakshi Ganguly) (बंगाली, हिंदी, अंग्रेज़ी): +91-98-2003-6032 (मोबाइल)

लंदन में, ब्रैड एडम्स (Brad Adams) (अंग्रेज़ी): +44-7908-728333 (मोबाइल)

पर्थ में, एलेन पियर्सन (Elaine Pearson) (अंग्रेज़ी): +61-415-489-428 (मोबाइल)

वाशिंगटन, डीसी में, सोफ़ी रिचर्डसन (Sophie Richardson) (अंग्रेज़ी, मंदारिन): +1-202-612-4341; या +1-917-721-7473 (मोबाइल)

"'राष्ट्रविरोधी तत्व'" से कुछ चुनिंदा बयान

पुलिसवाले ने मुझसे कहा, 'कृपया अपने बेटे से बात करें। उससे कहें कि उसको हमें कुछ लोगों के नाम बताने ही पड़ेंगे। तब हम उसे छोड़ देंगे।' लेकिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, 'मैं गलत तरीके से कोई नाम नहीं दे सकता।' पुलिस ने मुझसे कहा, 'तुम्हारे बेटे की ज़िन्दगी बर्बाद हो जाएगी। उससे कहो कि कुछ लोगों की शिनाख्त करे।'

- एक पिता जिसके बेटे को 2008 में अहमदाबाद में हुए बम विस्फोटों के बाद हिरासत में लिया गया था, जुलाई 2009

"हमें काले नकाब पहनाए जाते थे। मुझे दोनों हाथ बाजू क्षैतिज रूप से फैलाकर खड़े रहना पड़ता था और अगर वे नीचे आ जाते थे तो पुलिस मुझे पीटती थी। जब भी वे मुझसे प्छताछ करते थे और उन्हें लगता था कि जवाब ठीक नहीं है, तो वे लाठी या चमड़े की बेल्ट से या जिस भी चीज़ से उनका मन करता उससे मुझे पीटते थे... पुलिस विभाग ने मुझसे कहा था, 'अगर तू साथ नहीं देगा तो हम तेरे पूरे परिवार को पकड़कर ले आएंगे...' मैं इतना डर गया था कि मुझे

कुछ पता नहीं था कि क्या होगा और मैं क्या करूं और क्या न करूं। मुझे बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं थी।

- इंडियन मुजाहिदीन का एक संदिग्ध 2008 में अहमदाबाद पुलिस अपराध शाखा के लॉकअप में अपनी हिरासत का वर्णन करता हुआ

"पुलिस ने कहा कि जब राजिक (Raziq) आ जाएगा तभी वे शकील (Shakeel) को छोड़ेंगे। लेकिन... वह तो अपनी बीवी को हमारे रिश्तेदारों के पास छोड़कर गायब हो गया था।" – एक मां जिसके बेटे को 2008 में गैरकानूनी रूप से एक महीने के लिए हिरासत में रखा गया था जबिक पुलिस उसके भाई को तलाश रही थी

"पहला ही सवाल था: 'तुम लोग राष्ट्र-विरोधी क्यों बन गए हो? तुम लोग साले पाकिस्तानी हो।' वे मेरे मजहब, मेरी मान्यताओं, मेरी प्रथाओं को निशाना बनाते रहे।

- दिल्ली स्पेशल सेल पुलिस द्वारा 2008 में पूछताछ के बारे में एक युवा मुस्लिम पेशेवर

"जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या उसे यातनाएं दी गईं, तो उसने कहा, 'वे मुझसे प्यार से तो पेश नहीं आने वाले। उन्हें अपना केस बनाना था... वे हमें मामले की पुलिसिया कहानी याद कराते थे। जब तक हम पुलिस के बयान को सुना नहीं देते थे, तब तक हमें सोने नहीं दिया जाता था।"

– निसार अहमद (Nisar Ahmed), जिनके बेटे साकिब नसीर (Saqib Nisar) को 2008 के बम विस्फोटों में भूमिका के लिए आरोपित किया गया है